Indian J.Soc & Pol. 03(03):2016:69-72 **ISSN 2348-0084 (PRINT)**
(Special Print Issue: September, 2016) **ISSN 2455-2127(ONLINE)**

लोकहितवादः एक समालोचनात्मक अध्ययन

अजय सिंह[1]
[1]एसो0 प्रोफेसर (राज0 शास्त्र),हण्डिया पी0जी0 कालेज, हण्डिया, इलाहाबाद (उ0प्र0), भारत

ABSTRACT

इंगलिश और अमेरिकन विनिश्चयों का अनुसरण करते हुए हमारे उच्चतम न्यायालय ने एक वर्ग के मुकदमों में जिसे लोकहित वाद (PIL) के रूप में वर्गीकत किया गया है अर्थात् जहॉ जन साधारण किसी अधिकार की रक्षा या लोक कर्तव्य के लागू होने में रुचि रखते हैं, शपथ पत्र पर सुने जाने का अधिकार (locus standi) या उसी समान बातों से सम्बन्धित कठोर नियमों में अपवाद ग्रहण किया है।[1] इस परिपाटी का उच्च न्यायालयों ने भी अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी अधिकारिता में अनुसार करना आरम्भ कर दिया है। और उच्चतम न्यायालय ने इस परिपाटी को यह सम्प्रेक्षण करते हुए अनुमोदित भी कर दिया कि जहाँ कार्यपालिका की किसी मनमानी और अनुचित कार्रवाई से लोकहित की क्षति पहुॅचती है वहॉ रिट जारी करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य होगा। प्रस्तुत शोधपत्र में लोकहितवाद को न्याय के मूल सिद्धान्त तथा शक्तिपृथ्थक्करण के सिद्धान्त के सापेक्ष समझने का प्रयास किया गया है।

KEY WORDS: लोकहित, याचिका, शक्तिपृथ्थक्करण,

न्यायालय को अपना यह समाधान करना ही चाहिए कि लोकहित (PIL) वाद लाने वाला व्यक्ति लोक कल्याण के लिए सद्भाव से वाद लाया है। यह किसी अन्य पक्षकार या याचिका दायर करने वाले पक्षकार के निजी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मात्र छद्मवेश न हो न्यायालय वादकारी द्वारा पूर्व में किये गये लोक सेवा के प्रमाण की जॉच कर सकता है। एक अधिवक्ता ने न केवल यह इंगित करते हुए राज्य या उसके अभिकरणों के विरुद्ध याचिका दायर किया कि उसके कर्मचारियों (रेलवे कर्मचारियों) द्वारा किये गये बलागतसंग की शिकार स्त्री को प्रतिकर दिया जाय बलिक उसने रेलवे स्टेशनों पर समाज विरोधी या आपराधिक क्रिया कलापों के उन्मूलन को शामिल करते हुए कई अन्य राहतें भी चाही थी। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वह याचिका लोकहित वाद (PIL) के स्वरूप की थी और ऐसी याचिका को कोई भी अधिवक्ता दायर कर सकता है क्योकि उसके लिए किसी व्यक्तिगत क्षति या हानि का होना आवश्यक तत्व नहीं है।

न्यायिक सक्रियता की अभिव्यक्ति का प्रमुख उपकरण लोकहितवाद है। सामान्यतया न्यायिक सक्रियता और लोकहितवाद को पर्यायवाची समझा जाता है जो काफी हद तक ठीक है किन्तु न्यायिक सक्रियता जनहित विवाद से कुछ अधिक है। कार्यकारिणी द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के वैधानिक अधिकारों के अतिक्रमण होने की दशा में भी न्यायपालिका सक्रिय होकर उस व्यक्ति के साथ हो रहे अन्याय के निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

उदाहरण के लिए देवकी नन्दन बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया कि याची का 12 वर्षों से उसकी पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को यह आदेश दिया कि वह याची को हर्जाने के रूप में 25,000/– रुपये अदा करे।

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि न्यायालय सम्बन्धित प्रशासकीय अधिकारी को न्यायपालिका के समक्ष बुलाकर वहीं उसको आदेश दे देती है और उस आदेश के कार्यकारिणी द्वारा अनुपालन किये जाने की सूचना न्यायालय को एक निश्चित तिथि तक भेजने का भी निर्देश दे देती है। अब न्यायपालिका अपने निर्णयों को कार्यानिवत करने का प्रत्यक्ष आदेश कर्मचारी तन्त्र को देती है।

संक्षेप में व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक हितों की सुरक्षा और उन्नयन के लिए कार्यकारिणी शक्तियों का न्यायपालिका द्वारा प्रयोग किया जाना ही न्यायिक सक्रियता कहलाता है।

सामान्यतः न्यायिक सक्रियता से जनहित विवादों का ही बोध होता है। भारत में जनहित विवादों के अग्रणी न्यायाधीश

1.Corresponding Author

न्यायमूर्ति वी0 आर0 कृष्णा अय्यर ने अप्रत्यक्ष रूप से जनहित विवाद को मान्यता प्रदान की। 1981 में एस0पी0 गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारिता के नियमों की शिथिलता प्रदान करते हुए जनहित विवादों के औचित्य को स्पष्ट किया। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने कहा है कि वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही लोकहित में वाद (Public Interest Ligitation) लाने की विस्तृत धारणा ने ले लिया है।

न्यायमूर्ति भगवती ने लोकहित वाद को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित शब्दों में व्याख्यायित किया।(एआईआर 1980, एस सी आई 1579)

''यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग, जिसको विधिक क्षति पहुँचाई गयी है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है अपनी निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ न्यायालय में उसको पहुँची विधिक क्षति के निवारण के लिए अनु0 32 के अधीन आवेदन दे सकता है। उक्त परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति 'पत्र लिखकर' भी उच्चतम न्यायालय से उपयार मांग सकता है और रिट पिटीशन की तकनीकी बारीकियां का पालन करना आवश्यक नहीं होगा। न्यायाधीश श्री भगवती ने घोषणा की कि प्रक्रियात्मक तकनीकियाँ न्यायालय को ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने के मार्ग में अवरोध नहीं बन सकती है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय की इस उदारता का अनुचित लाभ उठाये। प्रत्येक मामले में न्यायालय उपचार तभी देगा जब उसे समाधान हो जायेगा कि उसके समक्ष आने वाले व्यक्ति का पर्याप्त हित है और वह दुर्भावना से अथवा राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर रिट अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर रहा है।''

पीपुल्स यूनियर फार डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ(1983,1एस सी सी 304) के अपने ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने लोकहित वाद के क्षेत्र एवं महत्व को स्पष्ट करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों से सांविधानिक और विधिक अधिकारों की संरक्षा कराने में इसका काफी महतव है। लोकतंत्र में लोकहित वाद विधि शासन का एक आवश्यक तत्व है। विधि शासन केवल धनी और सुविधा सम्पन्न वर्ग के अधिकारों को नहीं वरन् निर्बलतम् वर्ग के अधिकारों की संरक्षा करता है और उन्हें न्याय प्रदान करता है। यह तर्क कि इस प्रकार के मामले से न्यायालय में वादों की संख्या में वृद्धि होगी, अतः उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, भ्रामक है। न्यायमूर्ति भगवती ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि लोकहित वाद को बढ़ावा देने से न्यायालय में मामलों की वृद्धि होगी और उनके निपटारे में विलम्ब होगा। न्यायमूर्ति भगवती ने कहा कि–

> ''किसी राज्य को अपने नागरिकों से यह कहने का अधिकार नहीं है कि चूँकि हमारे न्यायालय में धनी व्यक्तियों के अनेक मामले लम्बित है, अतः हम निर्धनों को न्यायालय में न्याय पाने के लिए तब तक नहीं आने देंगे जब तक कि उनके मुकदमों का जो धनी वकीलों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, निपटारा न कर दिया जाय, न्यायालय में वादों में वृद्धि इस बात का कोई अन्तर नहीं कि समाज के निर्बल और कमजोर वर्गों के लिए न्याय पाने का रास्ता ही बन्द कर दिया जाय।''

डी0 एस0 नकारा बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई भी पंजीकृत सोसायटी, गेर राजनैतिक स्वैच्छिक संघ अनु0 32 के अधीन उपचार पाने के लिए रिट पिटीशन फाइल कर सकता है।

न्यायमूर्ति भगवती का कहना था कि न्यायपालिका का यह मौलिक दायित्व है कि वह विधिक व्यवस्था एवं विधि के शासन को बनाए रखे गरीबों के भी नागरिक और राजनीतिक अधिकार होते हैं और विधि का शासन उनके लिए भी है यद्यपि वर्तमान में यह केवल कागज पर है वास्तव में नहीं।(वही)

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (वही) में भी सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित विवादों के औचित्य एवं क्षेत्र का सविस्तार विवेचन किया। न्यायालय ने यह पाया कि बंधुआ मजदूर की प्रथा अब भी अनेक राज्यों में पाई जाती है हालॉकि इसको समाप्त करने के लिए संसद में 1976 में एक कानून पारित किया गया था।

एक लेख के अनुसार पूरे देश में बंधुआ मजदूरों की संख्या पॉच करोड़ बतायी गयी थी। इस वाद में एक सामाजिक संस्था ने पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि हरियाणा राज्य के फरीदकोट जिले की पत्थर की खानों में काफी संख्या में श्रमिक अमानवीय दशा में कार्यरत है और उनमें से अनेक बंधुआ श्रमिक भी है। न्यायालय ने पत्र को रिट मानकर दो अधिवक्ताओं का एक आयोग नियुक्त किया जिसने जॉच करके न्यायालय को रिपोर्ट दी कि संस्था का आरोप सत्य है।

न्यायमूर्ति श्री पाठक और अमरेन्द्र नाथ यद्यपि इस बात से श्री भगवती से सहमत है कि पत्र द्वारा लोकहितवाद

चलाया जा सकता है किन्तु उनका विचार है कि ऐसे आवेदन स्वीकार करते समय न्यायालय को काफी सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि उसका दुरूपयोग न किया जा सके। न्यायमूर्तियों ने सुझाव दिया कि ऐसे पत्र न्यायालय को सम्बोधित होने चाहिए किसी विशेष न्यायाधिपति को नहीं और दूसरे इसे पिटीशनर द्वारा की गयी सामग्री पर विचार करके स्वीकार किया जाना चाहिए।

एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ के अपने दूसरे ऐतिहासिक निर्णय मतें मुख्य न्यायाधीश श्री भगवती ने लोकहित वाद के सम्बन्ध में उठायी गयी शंकाओं को दूर कर दिया। यह निर्णय विशेष रूप से बंधुआ मुक्ति मोर्चा के मामले में न्यायाधीश श्री पाठक एवं अमरेन्द्र नाथ द्वारा इसके दुरूपयोग के बारे में उठाई आशंका को घ्यान में रखकर दिया गया है।

लोकहित वाद की इस अवधारणा को स्वीकार करने के फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन अपनी अधिकारिता को अत्यन्त व्यापक बना दिया है। अब न्यायालय अनु0 32 के अन्तर्गत उन समस्त मामलों में हस्तक्षेप करेगा जब कभी भी और जहॉ कहीं भी राज्य या उसके सेवकों द्वारा किसी निर्धन और असहाय व्यक्ति के सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा अर्थात अन्याय होता है या हो रहा हो। इसके फलस्वरूप सरकारी अधिकारीगण अब और सचेत होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलावाड़ करने से डरेंगे।

यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने इस अस्त्र का प्रयोग सतर्कतापूर्वक करने पर बल दिया है, क्योंकि इसके माध्यम से लोग कहीं इसका दुरुपयोग न कर सकें, न्यायमूर्ति भगवती ने इसका दुरूपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों की घोषणा की है। जनता दल बनाम एच0 एस0 चौधरी का मामला लोकहित वाद के दुरूपयोग का एक अच्छा उदाहरण है। इसके अतिरिक्त कृष्णा स्वामी बनाम भारत संघ(1992, एससीसी 305), सिमरन सिंह मान बनाम भारत संघ(1992, एससीसी 605), बालको कर्मचारी संघ, पंजीकृत बनाम भारत संघ वी0 सिंह बनाम भारत संघ गुरूवारपुर देवास्वम बनाम सी0 के0 राजन तथा टी0 एन0 गोदावर्मन बनाम भारत संघ के वाद लोकहित वाद के दुरूपयोग के उदाहरण है।

उच्चतम न्यायालय ने यह अनुभव किया है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य में उच्चतम न्यायालय इस नये अस्त्र का प्रयोग केवल निर्धन एवं असहाय नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए ही नहीं करेंगे वरन् पूरे समाज को अपराधविही और अनुशासित समाज में परिवर्तित कराने में करेंगे।

कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं, जो उचित नही है। संविधान में न्यायालय को शक्ति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त आज विधायिका और कार्यपालिका राजनीतिक कारणों से नागरिक समस्याओं का निपटारा करने में अत्यन्त असक्षम एवं असहाय हो गये हैं। आज सामान्य जनता के लिए लोकहितवाद (PIL) के माध्यम से न्यायिक सक्रियता एक वरदान साबित हुई है। देश के बड़े पदों पर आसीन लोगों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश उच्चतम न्यायालय ने ही किया है। न्यायपालिका को स्वतंत्र एंव निष्पक्ष बनाये रखने का हम सभी का उत्तरदायित्व है। इसी में लोकतंत्र की सफलीता निहित है।

सन्दर्भ

एस0 पी0 गुप्ता बनाम भारत संघAIR 1982 SC 1476

एस0 पी0 गुप्ता बनाम भारत संघ पूर्व उद्घृत

एस0 पी0 गुप्ता और अन्य बनाम राष्ट्रपति और अन्य ए0 आई0 आर0 1982 एस0 सी0 149/जनता दल बनाम एच0 एस0 चौधरी (1992) 4 एस0 सी0 सी0 305 के विनिश्चय में लोकहित वाद के उदभव एवं क्षेत्र का विस्तृत विवेचन किया गया है।

1983, 1 एस0 सी0 सी0 304

1992, 4 एस0 सी0सी0 305

1992, 4 एस0 सी0सी0 553

1992, 4 एस0 सी0सी0 605

AIR 1976 SC 1458

AIR 1980 SC 1579

AIR 1982 SC 149

AIR 1982 SC 803

AIR 1982 SC 803

AIR 2002 SC 1774

AIR 2002 SC 350

AIR 2004 SC 1923

AIR 2004 SC 561

पिपुल्स युनियन बनाम युनियन ऑफ इण्डिया ए0 आई0 आर0 1982 एस0 सी0 1473 (पैरा–1)

रौनक इण्टरनेशनल लिमिटेड बनाम आई0 वी0 आर0 कान्स्ट्रक्शन लि0 (1999) एस0 सी0 सी0 492 (पैरा 12) ए0 आई0 आर0, 1999

स्टैट ऑफ डब्लू बी बनाम सम्पत ए0 आई0 आर0 1985 एस0 सी0195 (पैरा 1)

चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चन्द्रिमा दास, (2000) 2 एस0 सी0 सी0, 465

चैतन्य बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, ए0 आई0 आर0 1986, एस0 सी0 825, (पैरा 10)

अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, ए0 आई0 आर0 1981 एस0 सी0 298, फर्टिलाइजर कारपोरेशन कामगार संघ बनाम भारत संघ, ए0 आई0 आर0 1981 एस0 सी0 344 (देखें)